न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 86/2025 तारीख रजू:– 30.05.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. ललिता देवी पत्नि अमृतसिंह जाति गुर्जर निवासी नथोले का पुरा तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0) ———————————————————सायला

बनाम

1. गिरधर | पिसरान गोकल जातियान गुर्जर निवासी केशवपुरा हिण्डौन
2. हरिचरण |
3. पूरन | तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4. प्रेमसिंह |
5. रामपति |
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
7. सब रजिस्ट्रार, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राजस्थान ———— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1.श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायला

निर्णय दिनांक :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायला ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश किया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खाता संख्या नया 2974 के खसरा नम्बर 5241 रकवा 92 ऐयर, खसरा नम्बर 5242 रकवा 75 ऐयर, खसरा नम्बर 5259 रकवा 95 ऐयर, खसरा नम्बर 5260 रकवा 27 ऐयर, खसरा नम्बर 5262 रकवा 81 ऐयर, कुल किता 05 कुल रकवा 3.70 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन एबीसीडी, तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज0) है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि कम्पूरी पत्नी गोकल का स्वर्गवास हो चुका है तथा मूल दावे की प्रतिवादी नम्बर 11 उसकी जायज वारिस हैं तथा अन्य वारिसान पूर्व से ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हैं, मुताबिक कानून मूल दावे की प्रतिवादी नम्बर 11 उसके हिस्से को प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र सायला एवं गैरसायल संख्या 01 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 व 11 लगायत 29 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायला हिस्सा 186/4753 की खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त आराजीयात से अन्य किसी का कोई सम्बन्ध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायला एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 व 11 लगायत 29 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है और उन्होंने उपरोक्त आराजीयात का मौके पर अपने–अपने हिस्सानुसार वहामी तकास्मा कर रखा है, लेकिन उनका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा सायला खसरा नम्बर 5262 की भूमि पर मुताबिक वहामी बंटवारा काबिज व दखील होकर काश्त करती चली आ रही है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र का सायला एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 व 11 लगायत 29 के मध्य शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है, क्योंकि डौल–मैंढ़ को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती है, इसलिए भूमि का विधिवत तकास्मा कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 25.05.2025 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास का है कि सायला मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र की भूमि में अपने हिस्से व कब्जे की भूमि की देखरेख करने गयी थी कि इतने में ही मौके पर गैरसायलान नम्बर 01 लगायत 05 अपने हमराहियों के साथ मौके पर आए और सायला से कहा कि तुम अब इस जमीन पर काश्त नहीं करोगी तो सायला ने कहा कि इस जमीन में मेरा भी हिस्सा है और मैं अपने हिस्से पर काबिज काश्त हूं, फिर तुम मुझे बेवजह क्यों परेशान कर रहे हो तो गैरसायलान ने कहा कि हम उक्त भूमि से लट्ठ के बल पर बेदखल कर भूमि को दीगर लठैत लोगों को बेचान कर देंगे एवं भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करा देंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इस पर सायला द्वारा गैरसायलान से उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने के लिये कहा तो उन्होंने बंटवारा कराने से स्पष्ट मना कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

और कहा कि तुमसे बने सो कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सायला के द्वारा उक्त गैरसायलान को काफी समझाया, मगर वे मानने को तैयार नहीं हुए। इस कारण सायला बखिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायला को अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार दृव्य से संभव नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजीयात खाता संख्या नया 2974 के खसरा नम्बर 5241 रकवा 92 ऐयर, खसरा नम्बर 5242 रकवा 75 ऐयर, खसरा नम्बर 5259 रकवा 95 ऐयर, खसरा नम्बर 5260 रकवा 27 ऐयर, खसरा नम्बर 5262 रकवा 81 ऐयर, कुल किता 05 कुल रकवा 3.70 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन एबीसीडी, तहसील हिण्डौन में सायला के खसरा नम्बर 5262 में 186/4753 हिस्से के कब्जे से जबरन लट्ठ के बल पर सायला को बेदखल कर कब्जा नहीं करें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा उक्त आराजीयात का तकास्मा कराये बिना खसरा नम्बर 5262 की भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन वयय नहीं करें तथा सायला को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायला के उक्त भूमि में उसके हिस्से के उपयोग उपभोग व हक, हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे तथा गैरसायल सं07 को पाबन्द किया जावे कि वह बिना विधिवत तकास्मा हुए उपरोक्त आराजीयात का कोई भी दस्तावेज किसी के हक में पंजीबद्ध नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए दिनांक 28.07.2025 को इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी स0 2071–74 पेश की है।

वकील सायला उपस्थित। वकील सायला की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायला ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायला की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5241 रकवा 0.92 है0, खसरा नम्बर 5242 रकवा 0.75 है0, खसरा नम्बर 5259 रकवा 0.95 है0, खसरा नम्बर 5260 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 5262 रकवा 0.81 है0, कुल किता 05 कुल रकवा 3.70 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कम्पूरी पत्नि स्व. गोकल हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, कमलसिंह पुत्र दामोदर हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, कैलाशी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, केशर पुत्री दामोदर हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, कौशल्या पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, गिरधर पुत्र गोकल हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, चिरौंजी पत्नि हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, ज्ञानकौर पत्नि नानगा हि0 93/1358 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, ज्ञानकौर पत्नि स्व0 नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, थोलो पुत्री सुक्को हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, नन्दकिशोर पुत्र दामोदर हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, नर्वदा पुत्र नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, पूरन पुत्र गोकल हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, प्रेमसिंह पुत्र गोकल हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, फत्तेसिंह पुत्र हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, भग्गो पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, भगवानसिंह पुत्र नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, भौरी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, रूपसिंह पुत्र हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, रानो पुत्री दामोदर हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, रामपति पुत्री गोकल हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, लखनसिंह पुत्र नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, ललितादेवी पत्नि अमृतसिंह हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. नथोले का पुरा तहसील सूरौठ खातेदार, विष्णु पुत्र नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, श्यामसुन्दर पुत्र नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, सुखसिंह पुत्र नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, सम्पति पुत्री दामोदर हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, सुरेश पुत्र सुक्को हि0 93/4753 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, सोमोती पुत्री नानगा हि0 93/5432 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार, हरदेई पत्नि भगवानसिंह हि0 121/679 जाति गुर्जर सा. केशव पुरा हिण्डौन खातेदार, हरिचरण पुत्र गोकल हि0 186/4753 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 5241 रकवा 0.92 है0, खसरा नम्बर 5242 रकवा 0.75 है0, खसरा नम्बर 5259 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.95 है0, खसरा नम्बर 5260 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 5262 रकवा 0.81 है0, कुल किता 05 कुल रकवा 3.70 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायला ललितादेवी पत्नि अमृतसिंह जाति गुर्जर निवासी नथोले का पुरा तहसील सूरौठ हि0 186/4753 भाग की रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के मद नं.05 में अंकित किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायला एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 05 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 व 11 लगायत 29 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है और उन्होंने उपरोक्त आराजीयात का मौके पर अपने–अपने हिस्सानुसार वहामी तकास्मा कर रखा है, लेकिन उनका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा सायला खसरा नम्बर 5262 की भूमि पर मुताबिक वहामी बंटवारा काबिज व दखील होकर काश्त करती चली आ रही है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है। सायला ने उक्त विवादित आराजीयात का बंटवारा का दावा इस न्यायालय में पेश कर दिया है। जिसके निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना एवं सायला के बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 5262 में सायला के हि0 186/4753 के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करने हेतु गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी साबित है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। यदि उक्त भूमि में से सायला को गैरसायलान के द्वारा जबरदस्ती लट्ठ के बल पर बेदखल कर दिया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। इस प्रकार सायला का अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी भली प्रकार से साबित हैं। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खाता संख्या नया 2974 के खसरा नम्बर 5241 रकवा 92 ऐयर, खसरा नम्बर 5242 रकवा 75 ऐयर, खसरा नम्बर 5259 रकवा 95 ऐयर, खसरा नम्बर 5260 रकवा 27 ऐयर, खसरा नम्बर 5262 रकवा 81 ऐयर, कुल किता 05 कुल रकवा 3.70 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन एबीसीडी, तहसील हिण्डौन में सायला के खसरा नम्बर 5262 में 186/4753 हिस्से के कब्जे से जबरन लट्ठ के बल पर सायला को बेदखल कर कब्जा नहीं करें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा उक्त आराजीयात का तकास्मा कराये बिना खसरा नम्बर 5262 की भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन वयय नहीं करें तथा सायला को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायला के उक्त भूमि में उसके हिस्से के उपयोग उपभोग व हक, हकूकों में कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे तथा गैरसायल सं07 को पाबन्द किया जावे कि वह बिना विधिवत तकास्मा हुए उपरोक्त आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का कोई भी दस्तावेज किसी के हक में पंजीबद्ध नहीं करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26/8/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 26/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)